संख्या-263 /2023/2357/010-23-9-2023-23-9002-002-65-2023

प्रेषक,

शिव कुमार,
अनु सचिव,
उ0प्र0शासन

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ

लोक निर्माण अनुभाग-9 **लखनऊ: दिनांक 27 अक्टूबर, 2023**

विषय -वित्तीय वर्ष 2023-24 में आर0आई0डी0एफ0 योजना के अन्तर्गत अनुदान सं0-57/83 मद में विभिन्न जनपदों के 07लघु सेतु के चालू कार्य हेतु अवशेष धनराशि के आवंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता(सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र(निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित) के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार आर0आई0डी0एफ0 योजनान्तर्गत विभिन्न जनपदों के 07लघु सेतु के चालू कार्य हेतु निम्न तालिका के स्तम्भ-5 में उल्लिखित शासनादेश द्वारा निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के क्रम में वित्तीय वर्ष 2023-24 में रू0 896.01 लाख (जिसमें अनुदान सं0-57 से रू0 705.97 लाख एवं अनुदान सं0-83 से रू0 190.04 लाख की धनराशि सम्मिलित है) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र.	मुख्य अभियंता (सेतु) का पत्र	जनपद का नाम	मार्ग का नाम	स्वीकृति का शासनादेश संख्या	स्वीकृत लागत / प्राविधिक लागत/ गठित अनुबन्ध की लागत	गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत	बचत के उपरान्त कार्य की लागत	अब तक आवंटन	अवशेष (प्राविधिक लागत के सापेक्ष)	वित्तीय वर्ष 2023-24 में अवमुक्त धनराशि		
										अनुदान सं0-57	अनुदान सं0-83	योग (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	6618/CE-SEB/NABARD (BRIDGE) / BAR/2023-24 Dt-20-10-2023	नि0ख0-2 बदायूं	जनपद बदायूं में एम0एफ0 मार्ग के कि0मी0-97 में पुलिया निर्माण कार्य।	65/2023 /577/23-9-23/001-23-9/51/2022- **दिनांक-** 15-03-2023	46.38 46.38 26.97	0.47	45.91	2.60	43.31	34.12	9.19	**43.31**
2	6620/CE-SEB/NABARD (BRIDGE) / MRT/2023-24 Dt-20-10-2023	प्रा0ख0 मेरठ	जनपद मेरठ में भटीपुरा नगलामल मिल मार्ग से नगलामल छोईया पुल तक सम्पर्क मार्ग पर बने सकरे व अति क्षतिग्रस्त लघु सेतु के पुनर्निर्माण का कार्य।	186/2022 /आई0/1685/23-9-2022- दिनांक- 23-12-2022	120.02 120.02 90.90	4.03	115.99	105.13	10.86	**8.56**	**2.30**	**10.86**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3	**6620/CE-SEB/NABARD (BRIDGE) / MRT/2023 -24 Dt-20-10-2023**	**प्रा0ख0 मेरठ**	**खरखौदा से मोहिउद्दीनपुर गेझा सिवालखास मार्ग(अन्य जिला मार्ग) के किमी-6 से छोईया नाले पर लघु सेतु के पुनः निर्माण एवं पहुंच मार्ग कार्य।**	64/2023 /576/23-9-23/001-23-9/54/2022- **दिनांक-** 15-03-2023	174.54 174.54 135.32	1.66	172.88	10.63	162.25	**121.02**	**32.58**	**153.60**
4	**6619/CE-SEB/NABARD (BRIDGE) / ADY/2023 -24 Dt-20-10-2023**	**प्रा.ख. सुल्तानपुर**	**उतरौला-अयोध्या-प्रयागराज मार्ग (चैनेज** 136.05) **पर पूर्व निर्मित क्षतिग्रस्त गोपालदास पुल के स्थान पर चार लेन लघु सेतु, पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य।**	77/2023/618/23-9-23/23-9002(002)/6/23- **दिनांक-** 22-03-2023	494.33 494.33 332.14	0.33	494.00	247.17	246.83	**194.48**	**52.35**	**246.83**
5	**6619/CE-SEB/NABARD (BRIDGE) / ADY/2023 -24 Dt-20-10-2023**	**नि.ख. अमेठी**	**महाराजगंज इन्हौना मार्ग के किमी-.**17.200 **पर क्षतिग्रस्त लघु सेतु के स्थान पर नये लघु सेतु के निर्माण कार्य।**	79/2023/621/23-9-2023/23-9-9-1-2023- **दिनांक-** 22-03-2023	329.58 329.58 208.34	0.21	329.37	24.00	305.37	**240.60**	**64.77**	**305.37**
6	**6617/CE-SEB/NABARD (BRIDGE) / AZM/2023 -24 Dt-20-10-2023**	**नि0ख0-2 आजमगढ**	**आजमगढ़ आसुत-मिर्जापुर-माहुल बेलवाई मार्ग (प्रमुख जिला मार्ग सं**0-158**ई) के चैनेज** 0.025 **किमी में स्थित बाढ/ अतिवृष्टि से ध्वस्त पुरानी आर्च पुलिया के स्थान पर** 6x6**मी. स्पान का बाक्स कल्वर्ट के निर्माण कार्य।**	64/2023/576/23-9-23/001-23-9/54/2022-**दिनांक-** 15-03-2023	93.95 93.95 72.24	1.08	92.87	5.77	87.10	44.99	12.11	57.10
7	**6616/CE-SEB/NABARD (BRIDGE) / AGR/2023 -24 Dt-20-**	**नि0ख0-2 आगरा**	**जखौदा नहर पर फार्मेसी कॉलेज के पास लघु सेतु एवं पहुंच**	64/2023/576/23-9-23/001-23-9/54/202	178.29 178.29 170.26	8.03	170.26	7.55	162.71	**62.20**	**16.74**	**78.94**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

http://shasanadesh.up.nic.in

	10-2023		मार्ग के निर्माण कार्य ।	2-दिनांक-15-03-2023								
			योग							705.97	190.04	896.01

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

(1) उक्त धनराशि केवल अंकित परियोजना पर ही मानक व विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(2) नाबार्ड योजनान्तर्गत निर्माणधीन सेतु की गुणवत्ता एवं निर्माण की प्रगति की नियमित समीक्षा कर निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण किया जाय तथा समीक्षा रिपोर्ट नियमित रूप से उपलब्ध करायी जाय।

(3) उक्त सेतु के अंश, लोक निर्माण अंश में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष पृथक-पृथक वित्तीय प्रगति सहित वास्तविक भौतिक प्रगति तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं उनके स्थलीय फोटोग्राफ शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या -2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च,2023 में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) स्तम्भ -5 में अंकित शासनादेशों की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

(6) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी.डी.ओ. कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं.-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अत: अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

(7) चालू कार्य की अवशेष धनराशि इस शर्त के अधीन है कि यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि अवमुक्त की जा रही धनराशि पूर्व में अवमुक्त नहीं हुई है। यदि कोई विसंगति/द्विरावृत्ति पायी जाती है तो शासन को तत्काल सूचित किया जायेगा।

(8) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि विश्वकर्मा पोर्टल पर अपलोड आवश्यक सूचनाओं का परीक्षण पुन: कर लिया जायेगा। यदि सूचनाओं में कोई विसंगति होती है तो शासन को तत्काल सूचित किया जायेगा तथा इस विसंगति के लिए मुख्यालय/क्षेत्र के संबंधित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय(1) रुपये 7,05,97,000 (रूपये सात करोड पांच लाख सत्तानबे हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 057 लेखा शीर्षक 5054041013400 नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ.के अन्तर्गत स्वीकृत सेतुओं के चालू कार्यों हेतु व्यवस्था मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (2) रुपये 1,90,04,000 (रुपये एक करोड़ नब्बे लाख चार हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या-083 लेखा शीर्षक 5054047891600 नाबार्ड पोषित आर0आई0डी0एफ0 के अन्तर्गत सेतुओं का निर्माण (चालू कार्य) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17-मार्च, 2023 यथासंशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या-10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023, दिनांक 19 सितम्बर, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
शिव कुमार
अनु सचिव।

संख्या-263/2023/2357(1)/010-23-9-2023-23-9002-002-65-2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -:

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0 प्रयागराज ।
2- जिलाधिकारी, संबंधित जनपद।
3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, संबंधित जनपद ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
5- नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन।
6- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
7- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।
8- प्रबंधक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।
9- मुख्य अभियन्ता (सेतु), लो0नि0वि0, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

10- उप महाप्रबंधक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, उ0प्र0 क्षेत्रीय कार्यालय, 11 विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
11- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
12- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)।
13- राज्य योजना आयोग अनुभाग1/2
14- संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
15- संबंधित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता , लो0नि0वि0।
16- लोक निर्माण अनुभाग-10/श्रम अनुभाग-2
17- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
शिव कुमार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।